

94715  
2020/00077  
08/02/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम



श्री धानाराम

हलका मुक. बकातसिंह

पुत्र श्री रामाराम जाति मेगावत

निवासी मुक. बकातसिंह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 74/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका मुक. बकातसिंह ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2021 में मौजा मुक. बकातसिंह के खसरा नंबर 27/3 रकबा 6000 फी. किस्म भूमि 5/1 पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-01-2021	तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	 धानाराम
11-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पीगलीन अधिकारी शक्रीप कार्य हेतु जोधपुर पधारै से पत्रावली दि. 18-01-2021 को पेश है।	
18-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब देते समय चाहा जो जिला जाकर पत्रावली दिनांक 27-01-2021 को पेश है।	 धानाराम

तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर

27-1-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर की तरफ से उनके वकील ने उपाख्ये डेकर जवाब हेतु सगल याद जो डिग्रा लाकर पत्रावली दिनांक 10-2-2021 को पेश है।

*[Signature]*

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर

10-2-2021 पत्रावली पेश हुई। पीगसीन अधिकारी भण्डु ड्युटी पर सिवना पंचायत से पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।  
10-2-2021

17-2-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सगल अनुपस्थित। गैर सगल को जवाब हेतु सगल सेवक डिग्रा लाकर पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर

22-2-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सगल अनुपस्थित। गैर सगल के बार-बार जवाब हेतु अवलर डिग्रा के उपाख्ये भी कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किन्तु गैर सगल के अतिवृत्ति मानते हुए पत्रावली फेल ल सुकार है।

निर्णय अलग है डिग्रा लाकर शाखि पत्रावली है। पत्रावली फेल ल सुकार हैकर अखिल दफ्तर है।

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर